

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक), बिहार  
वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक-

विषय - पटना में प्रस्तावित डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम साईन्स सिटी के लिए Architect, Content design, Exhibit design एवं Project Management हेतु चयनित परामर्शी समूह (Consultant Consortium) फ्लाइंग एलिफैंट, बेंगलूरु के लिए स्वीकृत कुल परामर्शी शुल्क की राशि रु. 43.66 करोड़ (तेतालीस करोड़ छियासठ लाख रुपये) मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु रु. 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-241, दिनांक 24.01.2018 के द्वारा पटना में प्रस्तावित डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम साईन्स सिटी के लिए Architect, Content design, Exhibit design एवं Project Management हेतु परामर्शी समूह (Consultant Consortium) के रूप में फ्लाइंग एलिफैंट, बेंगलूरु समूह का चयन तथा परामर्शी शुल्क रु. 37.00 करोड़ एवं जी.एस.टी. रु. 6.66 करोड़ अर्थात् कुल रु. 43.66 करोड़ (तेतालीस करोड़ छियासठ लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

- राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9008(भ), दिनांक 24.08.2018 के आलोक में उक्त स्वीकृत राशि रु. 43.66 करोड़ (तेतालीस करोड़ छियासठ लाख रुपये) मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु रु. 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की है।
- उक्त स्वीकृत राशि का वहन, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, मांग संख्या-03, उपशीर्ष-0123-डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साईंस सिटी (विपत्र कोड 03-4059800510123) के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक से उपबंधित राशि से की जायेगी।
- स्वीकृत राशि का आवंटन, प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित संरचना प्रमण्डल संख्या-2, पटना को प्रदान किया जायेगा।
- आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट/प्राधिकृत कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमण्डल संख्या-2, पटना होंगे।
- भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।
- स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -  
(मिर्जा आरिफ रजा)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III) यो.-18/2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III) यो.-18/2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III) यो.-18/2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III) यो.-18/2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमण्डल संख्या-2, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III) यो.-18/2017-

3367/पटना, दिनांक- 13-12-018

प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक, आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.12.18

सरकार के उप सचिव

13/12/18